भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3662

24 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

आवासों का निर्माण

3662. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 'सब के लिए आवास' योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में वास्तव में निर्मित आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य को इस योजना के तहत आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवासों के निर्माण में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 'सब के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्रीय सहायता देने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) कार्यान्वित कर रहा है ताकि सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम में अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध करवाए जा सकें।

भारत सरकार ने पीएमएवाई-यू के तहत किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पात्र लाभार्थियों के लिए आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए योजना के तहत मांग सर्वेक्षण शुरू किया है। योजना के अंतर्गत आवास राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना

प्रस्तावों के आधार पर उनकी आकलित एवं वैधिकृत मांग के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। तमिलनाडु राज्य की वैधिकृत मांग के एवज में, पीएमएवाई-यू के तहत 7.28 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से, 6.29 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और लगभग 4.64 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2018-2022) के दौरान, पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में कुल 4.24 लाख आवासों को मंजूरी दी गई और 3.86 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

(ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2018-22) के दौरान, ₹ 7,044 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी और तमिलनाडु राज्य सरकार को पीएमएवाई-यू के तहत ₹ 6,397 करोड़ की राशि जारी की गई। इसी अवधि के दौरान, ₹ 7,439 करोड़ का उपयोग किया गया था, जिसमें पीएमएवाई-यू के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में जारी की गई निधियों के लिए प्राप्त उपयोग शामिल है।

(घ) और (ड.): पीएमएवाई-यू चार घटकों: (i) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण या विस्तार (बीएलसी) (ii) साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) (iii) ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और (iv) "इन-सीटू" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करती है। संबंधित राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से अनुमोदन के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। परियोजनाओं को पूरा करने में आमतौर पर योजना के बीएलसी घटक के तहत 12-18 महीने और एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत 24-36 महीने का समय लगता है।

'सब के लिए आवास' के विज़न को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय ने समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं/सम्मेलनों, केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठकों आदि जैसे विभिन्न मंचों पर और पत्राचार के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी है ताकि सभी आवासों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

*****